संख्या-२५८ /उन्तीस(2)/19-2(27 पे0)/2011

प्रेषक,

महावीर सिंह चौहान,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य महाप्रबन्धक,
उत्तराखण्ड जल संस्थान,
देहरादून।

पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग-2 देहरादून : दिनांकः ०७ मार्च, 2019

विषय :- वित्तीय वर्ष 2018-19 में हरिद्वार/ऋषिकेश में गंगा प्रदूषण नियंत्रण कार्यों के रखरखाव कार्यों हेतु एकमुश्त धनराशि स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 7290/वि0अनु0/02/शा0अनु0/2018-19 दिनांक 28.01.2019 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड जल संस्थान के अनुरक्षणाधीन हरिद्वार/ऋषिकेश में गंगा प्रदूषण नियंत्रण कार्यों के रखरखाव हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 मे शासनादेश संख्या-104/उन्तीस(2)/18-2(27पे0)/2011, दिनांक 11.01.2019 द्वारा रू0 200.00 लाख एवं शासनादेश संख्या-131/उन्तीस(2)/18-2(27पे0)/2011, दिनांक 23.01.2019 द्वारा रू0 200.00 लाख अर्थात् कुल रू0 400.00 लाख (रू0 चार करोड़ मात्र) के क्रम में पुनः रू0 551.69 लाख (रू0 पॉच करोड़ इक्यावन लाख उनहतर हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(i) स्वीकृत धनराशि का आहरण मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल देहरादून कोशागार में प्रस्तुत करके दिया जायेगा।

(ii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31 मार्च, 2019 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाय।

(iii) निर्माण कार्यो को निर्धारित समय व स्वीकृत लागत में पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाए, जिस हेतु निर्माण की प्राथमिकता और समय सारणी इस प्रकार तैयार की जाए कि निर्माण हेतु उपयुक्त माहों/सीजन का पूर्ण लाभ लिया जा सके और पूर्ण होने वाले कार्य शीघ्र पूर्ण होकर उपयोग में लाये जा सकें।

(iv) योजनावार/कार्यवार अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष प्रत्येक योजना का योजनावार, वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह की 07 तारीख तक शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय तथा योजनाओं का पूर्ण पारदर्शिता के साथ तथा डुप्लीकेसी की स्थिति में इसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिकारी का होगा।

(v) उक्तानुसार स्वीकृत की जा रही धनराशि का योजनावार आवंटन एवं व्यय योजना की अनुमोदित लागत की सीमा तक ही किया जायेगा। योजना हेतु अनुमोदित लागत से अधिक का आवंटन कदापि न किया जाय।

.............................2

(vi) उक्तानुसार चालू योजनाओं पर धनावंटन/व्यय करने के निमित योजना की स्वीकृति सम्बन्धी मूल शासनादेश में निहित अन्य समस्त शर्तों, यथालागू का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(vii) उक्त योजनाओं के कार्य उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 वित्त नियम संग्रह खण्ड–1(वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धी नियम(बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में अनुदान संख्या–13, लेखाशीर्षक–2215–जलपूर्ति तथा सफाई–02–मल निकासी एवं सफाई–106–वायु एवं जल प्रदूषण का निवारण–03–गंगा कार्यकारी योजना के अन्तर्गत रखरखाव हेतु जल संस्थान को अनुदान (फेज 1 व 2)–00–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता मद के नामें डाला जायेगा।

3– धनराशि आहरण वितरण अधिकारी को कम्प्यूटर आवंटन संख्या–H1903130632 दिनांक 06 मार्च, 2019 से आवंटित की जा रही है। धनराशि का उपयोग हेतु शासनादेश संख्या–519/3(150)–2017/XXVII(1)/2018 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 के द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–903/XXVII(2)/2019 दिनांक 06 मार्च, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(महावीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।

पृ0सं0– /उन्तीस(2)/19–2(27 पे0)/2011, तद्‌दिनांकित।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. जिलाधिकारी, देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
5. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
6. बजट निदेशालय, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–02, उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।
9. मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(निर्मल कुमार)
अनु सचिव।